शा0/II ... 15-10

संख्या—2072 / 15—7—09—1(67) / 2009

प्रेषक,

एफ0एन0 प्रधान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2010

विषयः— प्रदेश में शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः शिविर / 6504 / 2009—10 दिनांक 23 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में फीस निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—4886 / 15—7—03—1(112) / 87 दिनांक 03—11—2003 एवं तत्कम में समय—समय पर निर्गत पूर्व शासनादेशों को अतिकमित करते हुये विभिन्न मदों में लागू वर्तमान शुल्क दरों के स्थान पर निम्नलिखित सूची में उल्लिखित मद के सम्मुख अंकित संशोधित शुल्क दरें बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	शुल्क का मद	देय शुल्क की अवधि	कक्षा—6,7 व 8		कक्षा—9 व 10		कक्षा—11 व 12		टिप्पणी
			वर्तमान दर (रू0)	प्रस्तावित दर (रू0)	वर्तमान दर (रू0)	प्रस्तावित दर (रू0)	वर्तमान दर (रू0)	प्रस्तावित दर (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	विकास	मासिक	02.00	05.00	05.00	10.00	08.00	15.00	
2.	कीड़ा	मासिक	00.30	02.00	00.40	05.00	00.60	05.00	
3.	विज्ञान	मासिक	00.30	02.00	01.50	05.00	02.00	05.00	
4.	स्काउटिंग	मासिक	00.30	01.00	—	02.00	—	02.00	
5.	रेडकास	मासिक	00.10	01.00	00.20	01.00	00.20	01.00	
6.	पंखा	वार्षिक	01.50	20.00	01.50	20.00	01.50	20.00	
7.	निर्धन शुल्क	वार्षिक	01.20	05.00	01.20	10.00	01.20	10.00	
8.	जलपान	वार्षिक	06.00	10.00	06.00	10.00	06.00	10.00	
9.	वाचनालय	वार्षिक	04.00	08.00	08.00	12.00	08.00	12.00	
10.	श्रव्य दृश्य	वार्षिक	01.00	02.00	01.20	02.00	01.20	02.00	
11.	कला	वार्षिक	01.20	02.00	01.20	02.00	—	—	
12.	पत्रिका	वार्षिक	03.00	10.00	05.00	20.00	05.00	20.00	

2—

Mash.p.

13.	प्रगतिपत्र	वार्षिक	01.00	05.00	01.00	05.00	01.00	05.00	
14.	पुनः प्रवेश		01.00	10.00	01.00	10.00	01.00	10.00	नाम कट जाने पर पुनः प्रवेश के समय
15.	छात्रपंजी		01.00	10.00	01.00	10.00	01.00	10.00	छात्रपंजी की प्रति प्राप्त करते समय
16.	विलम्ब दण्ड		00.10	01.00	00.10	01.00	00.10	01.00	प्रतिदिन, शुल्क विलम्ब से जमा करने पर
17.	अनुपस्थित दण्ड		00.10	01.00	00.10	01.00	00.10	01.00	प्रतिदिन
18.	गृह परीक्षा	प्रति परीक्षा	05.00	20.00	08.00	25.00	08.00	25.00	

2— उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या—4886/15—7—03—1(112)/87 दिनांक 03—1—2003 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3— उपरोक्तानुसार आवश्यक आदेश तत्काल संबंधित अधिकारियों तथा शिक्षण संस्थाओं को जारी करें तथा जारी किये गये आदेश की प्रतियाँ शासन को भी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

संख्या—2072(1)/15—7—2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 सं0—शिविर/ 14954—110 /2009—10 दिनांक 22 जनवरी, 2010

उक्त राजाज्ञा की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— संयुक्त सचिव, शिक्षा—7 अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2— अपर शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6— समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0।

(के0 के0 गुप्ता)
उप शिक्षा निदेशक(शिविर)